बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्र सं०– NHM/BHDS/62/2025 पी०पी०एम०-96- /कृ०, पटना दिनांक 17.07.2025

प्रेषक,

कल्पना कुमारी
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+)अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा– वित्त विभाग, बिहार, पटना।

विषय– **वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत सब्जियों हेतु आलान प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन के लिए कुल 450.00 लाख (चार करोड़ पचास लाख) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन हेतु निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : **स्वीकृत।**

वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत सब्जियों हेतु आलान प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल 450.00 लाख (चार करोड़ पचास लाख) रूपये {केन्द्रांश 270.00 लाख (दो करोड़ सत्तर लाख) रूपये एवं राज्यांश 180.00 लाख (एक करोड़ अस्सी लाख) रूपये} की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार राज्य में सब्जियों हेतु आलान प्रबंधन कर सब्जियों के गुणवत्तायुक्त उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाकर कृषकों के आय में वृद्धि करना है। इस योजना का कार्यान्वयन राज्य के सभी जिलों में किया जायेगा।

3. इस योजना अन्तर्गत आलान प्रबंधन हेतु बाँस, लोहा तार, प्लास्टिक सुतली एवं पाट सुतली के क्रय पर व्यय होने वाले राशि का आकलन 4500.00 रूपये प्रति 125 वर्गमीटर/इकाई निर्धारित किया गया है, जिस पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा। कृषकों द्वारा उपरोक्त सामग्री का क्रय स्वयं किया जायेगा। उपरोक्त निर्धारित लागत राशि 4500.00 रूपये का 50 प्रतिशत अर्थात 2250.00 रूपये अथवा कृषकों द्वारा बाजार से क्रय किये गये सामग्री पर हुई वास्तविक व्यय राशि का 50 प्रतिशत, दोनों में जो न्यूनतम होगा, DBT in cash के रूप में अनुदान दिया जायेगा। योजनान्तर्गत घटकवार इकाई लागत से संबंधित विवरणी अनुसूची–1 के रूप में संलग्न है।

4. योजना का लाभ न्यूनतम 01 इकाई (125 वर्गमीटर) तथा अधिकतम 16 इकाई (2000 वर्गमीटर) के लिए दिया जायेगा। विभागीय स्थायी वित्त समिति की अनुशंसा के आलोक में अनुसूची–2 अन्तर्गत जिलावार स्वीकृत वित्तीय लक्ष्य के विरूद्ध लाभान्वित करने हेतु किसानों की न्यूनतम संख्या/लक्ष्य अंकित है।

5. दिनांक 26.09.2024 को सम्पन्न यूनिट कॉस्ट कमिटि द्वारा योजना अन्तर्गत स्वीकृत घटकों हेतु निर्धारित लागत मूल्य पर 50% अनुदान पर योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।

D:\YOGNA 2025-26\Mirnal Sastri Sir (Gaurav)\Aalan (450.00).doc

6. सब्जियों हेतु आलान प्रबंधन मुख्य रूप से लघु एवं सीमांत कृषकों के साथ–साथ वैसे कृषक, जिनके पास जमीन नहीं है, पट्टे और बटाई की जमीन पर सब्जी की खेती करने वाले कृषकों को एकरारनामा (अनुसूची–4) के आधार पर योजना का लाभ दिया जायेगा।

7. इस योजना का लाभ लेने हेतु किसानों का DBT पोर्टल पर पंजीकृत होना आवश्यक होगा। योजना अन्तर्गत कृषकों का चयन ''पहले आओ पहले पाओ'' के आधार पर किया जायेगा। विभागीय वेबसाईट http://horticulture.bihar.gov.in पर उपलब्ध "योजनाओं का लाभ लेने हेतु आवेदन करें" लिंक पर Click कर Dashboard पर उपलब्ध ''सब्जियों हेतु आलान प्रबंधन योजना'' टैब पर Click कर ''आवेदन करें" लिंक पर जाकर आवेदन किया जायेगा।

8. योजना का कार्यान्वयवन संबंधित जिला के सहायक निदेशक उद्यान के द्वारा किया जायेगा। उद्यान निदेशालय, बिहार द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा। सहायक निदेशक उद्यान इस योजना से संबंधित सभी रिकॉर्ड यथा– जियो–टैग फोटोग्राफी, विडियोग्राफी, उत्पादन एवं उत्पादकता के ऑकड़े आदि संधारित किये जायेंगे।

9. संबंधित प्रखंड उद्यान पदाधिकारी द्वारा क्रियान्वित योजना का शत्–प्रतिशत, सहायक निदेशक उद्यान द्वारा 10 प्रतिशत एवं उप निदेशक उद्यान द्वारा 1 प्रतिशत भौतिक सत्यापन किया जायेगा।

10. योजना संबंधित सुसंगत विषय शीर्ष में कोटिवार बजट उपबंध केन्द्रांश तथा राज्यांश मद में 77.04 : 21.25 : 1.71 के अनुपात में कोटिवार राशि की स्वीकृति दी जा रही है। उक्त अनुपात के अनुसार कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा योजना कार्यान्वित किया जायेगा।

11. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के प्रावधानों के अनुसार उक्त योजना को राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की आगामी बैठक में घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।

12. यह अनुदान की योजना है। इसमें मानव दिवस का सृजन संभावित नही है।

13. भारत सरकार के नये मार्गदर्शिका के अनुसार RBI के ई–कुबेर प्लेटफॉर्म के द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजना की धन राशि का परिसीमन/अंतरण/खर्च SNA-SPARSH Module के माध्यम से क्रियान्वयन किया जायेगा।

14. कार्यान्वयन एजेंसी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के सहायक निदेशक उद्यान द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए संधारित बैंक खाता एवं लेखा का समुचित संधारण किया जायेगा SNA-SPARSH के माध्यम से राशि की निकासी एवं राशि का अंतरण किया जायेगा।

15. योजना का कार्यान्वयन एजेंसी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के सहायक निदेशक उद्यान होंगे, जो अनुसूची–3 के अनुसार क्रमशः केन्दांश एवं राज्यांश में आवंटित राशि की निकासी के लिए पूर्णतः जवाबदेह होंगे। अनुसूची–3 के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसी सहायक निदेशक उद्यान को राशि आवंटित की जायेगी। कार्यान्वयन एजेंसी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र के आधार पर SNA-SPARSH के माध्यम से राशि की निकासी की जायेगी, जिसका व्यय प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र निदेशक उद्यान, बिहार, पटना को ससमय उपलब्ध करायेंगे। साथ ही महालेखाकार के अंकेक्षण हेतु विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र कृषि विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

16. वित्त विभाग के पत्रांक–2561, दिनांक–17.04.1998 का अनुपालन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जोयगा।

17. कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अन्दर महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा एवं इसकी प्रति कृषि विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही बिहार

वित्तीय नियमावली के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता होगी। महालेखाकार बिहार को अंकेक्षण का अधिकार होगा।

18. प्रशासी विभाग द्वारा वित्तीय सीमा के अधीन यथा आवश्यक संशोधन/परिवर्तन किया जा सकेगा।

19. इस योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी निदेशक उद्यान, बिहार, पटना होंगे।

20. वित्तीय वर्ष 2025–26 में बजट उपबंध का विवरण निम्न प्रकार है :–

(राशि लाख रू० में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (केन्द्रांश)		
मुख्य शीर्ष 2401– फसल कृषि कर्म– उपमुख्य शीर्ष –00– लघुशीर्ष– 109–विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण– मांग सं० –01, उपशीर्ष –0216–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०), विपत्रकोड–01–2401001090216, पी० एफ०एम०एस० कोड–9145, विषय शीर्ष–31–सहायता अनुदान –0216 –31–06 सहायक अनुदान –गैर वेतन	15319.55	208.00800
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्यशीर्ष–00 –लघुशीर्ष –789 –अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना– मांग सं०–01, उपशीर्ष –0203 – राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०), विपत्र कोड –01 –2401007890203, पी० एफ०एम०एस० कोड–9145, विषयशीर्ष –31– सहायता अनुदान–0203–31–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	2738.82	57.37500
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म– उपमुख्य शीर्ष –00 –लघुशीर्ष– 796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना– मांग सं०–01, उपशीर्ष–0231 –राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०), विपत्रकोड–01– 2401007960231, पी०एफ०एम०एस० कोड–9145, विषयशीर्ष–31–सहायता अनुदान–0231–31–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	200.35	4.61700
योग	**18258.72**	**270.00000**
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (राज्यांश)		
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म– उपमुख्यशीर्ष–00 –लघु शीर्ष–109 –विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण –मांग सं०–01, उपशीर्ष–0316–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०), विपत्रकोड– 01– 2401001090316, पी०एफ०एम०एस० कोड–9145, विषय शीर्ष– 31 –सहायता अनुदान–0316–31–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	2605.24	138.67200
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म– उपमुख्यशीर्ष–00–लघु शीर्ष –789 –अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना –मांग सं० –01, उपशीर्ष–0303–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०), विपत्रकोड–01–2401007890303, पी०एफ०एम०एस० कोड –9145, विषयशीर्ष–31 –सहायता अनुदान –0303 –31–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	1825.88	38.25000
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना –मांग सं० –01, उपशीर्ष –0331–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०), विपत्रकोड –01 –2401007960331, पी०एफ०एम०एस० कोड–9145, विषय शीर्ष –31–सहायता अनुदान –0331 –31–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	133.56	3.07800
योग	**4564.68**	**180.00000**
कुल योग	**22823.40**	**450.00000**

राज्यांश मद संबंधित बजट शीर्ष के सामान्य कोटि में उपबंधित राशि उपलब्ध नहीं है। तत्काल उपलब्ध राशि का निकासी एवं व्यय किया जायेगा तथा शेष राशि की निकासी प्रथम/अगले अनुपूरक आगणन में बजट उपबंध प्राप्ति पश्चात ही आवंटनादेश निर्गत किया जा सकेगा।

21. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888 दिनांक–03.12.2024 एवं पत्रांक 201 दिनांक–13.03.2025 में निहित प्रावधान के आलोक में योजना प्रस्ताव पर दिनांक–04.07.2025 को प्रधान सचिव, कृषि की अध्यक्षता में आयोजित विभागीय स्थायी वित्त समिति की अनुशंसा प्राप्त है। योजना कार्यान्वयन एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर प्रधान सचिव, कृषि का अनुमोदन संचिका संख्या–NHM/BHDS/62/2025 के पृ0सं0–28/टि0 पर दिनांक–15.07.2025 को प्राप्त है।

22. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

23. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या NHM/BHDS/62/2025 के पृ0सं0–30 / टि0 पर दिनांक–16.07.2025 को प्राप्त है, जिसका डायरी संख्या–564 दिनांक–16.07.2025 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(कल्पना कुमारी)
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– NHM/BHDS/62/2025 पी0 पी0 एम0-96- / कृ0, पटना दिनांक 17.07.2025

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले0 एवं ह0) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– NHM/BHDS/62/2025 पी0 पी0 एम0-96- / कृ0, पटना दिनांक 17.07.2025

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग / वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– NHM/BHDS/62/2025 पी0 पी0 एम0-96- / कृ0, पटना दिनांक 17.07.2025

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– NHM/BHDS/62/2025 पी0 पी0 एम0-96- / कृ0, पटना दिनांक 17.07.2025

प्रतिलिपि : सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना एवं सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– NHM/BHDS/62/2025 पी0 पी0 एम0-96- / कृ0, पटना दिनांक 17.07.2025

प्रतिलिपि : माननीय उप मुख्य (कृषि) मंत्री के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव, बिहार, पटना / कृषि निदेशक, बिहार, पटना / निदेशक, कृषि विपणन, बिहार, पटना / निदेशक उद्यान, बिहार, पटना / निदेशक, बामेति, पटना / निदेशक, पी0पी0एम0, कृषि विभाग, बिहार, पटना / निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना / सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) / सभी प्रमंडलीय उप निदेशक उद्यान / सभी जिला कृषि पदाधिकारी / सभी जिला उद्यान पदाधिकारी / सभी सहायक निदेशक उद्यान / मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारीगण / बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं कृषि निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

D:\YOGNA 2025-26\Mirnal Sastri Sir (Gaurav)\Aalan (450.00).doc

ज्ञापांक– NHM/BHDS/62/2025 पी०पी० एम०-96/कृ०, पटना दिनांक 17.07.2025

प्रतिलिपि : उप निदेशक (शष्य), सूचना, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार पदाधिकारी को ई–मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

D:\YOGNA 2025-26\Mirnal Sastri Sir (Gaurav)\Aalan (450.00).doc

अनुसूची – 1

आलान प्रबंधन का इकाई लागत (प्रति 125 वर्गमीटर)

क्र० सं०	अवयव	संख्या/मात्रा	दर	कुल राशि (रूपये में)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	बाँस	12	250 रू०/बाँस	3000.00
2	लोहा तार	6 किलोग्राम	125 रू०/किलोग्राम	750.00
3	पाट सुतली	3 किलोग्राम	150 रू०/किलोग्राम	450.00
4	प्लास्टिक सुतली	2 किलोग्राम	150 रू०/किलोग्राम	300.00
कुल				**4500.00**

(मो० चार हजार पाँच सौ रूपये)

पवन कुमार

निदेशक उद्यान, बिहार।

अनुसूची – 2

वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत सब्जियों हेतु आलान प्रबंधन से संबंधित जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की विवरणी।

(भौतिक लक्ष्य इकाई/संख्या में एवं वित्तीय लक्ष्य लाख रू० में)

क्र० सं०	जिला	भौतिक लक्ष्य (प्रति इकाई 125 वर्गमीटर)	न्यूनतम लाभार्थी कृषकों की संख्या	वित्तीय लक्ष्य (प्रति इकाई लागत 0.045 लाख रू० का 50 प्रतिशत अनुदान अर्थात 0.0225 लाख रू०)		
				केन्द्रांश (60 प्रतिशत)	राज्यांश (40 प्रतिशत)	कुल वित्तीय लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7
1	अररिया	400	80	5.40000	3.60000	9.00000
2	अरवल	400	80	5.40000	3.60000	9.00000
3	औरंगाबाद	700	140	9.45000	6.30000	15.75000
4	बाँका	400	80	5.40000	3.60000	9.00000
5	बेगूसराय	700	140	9.45000	6.30000	15.75000
6	भागलपुर	600	120	8.10000	5.40000	13.50000
7	भोजपुर	400	80	5.40000	3.60000	9.00000
8	बक्सर	400	80	5.40000	3.60000	9.00000
9	दरभंगा	400	80	5.40000	3.60000	9.00000
10	पूर्वी चम्पारण	700	140	9.45000	6.30000	15.75000
11	गया	600	120	8.10000	5.40000	13.50000
12	गोपालगंज	600	120	8.10000	5.40000	13.50000
13	जमुई	400	80	5.40000	3.60000	9.00000
14	जहानाबाद	500	100	6.75000	4.50000	11.25000
15	कैमूर	400	80	5.40000	3.60000	9.00000
16	कटिहार	500	100	6.75000	4.50000	11.25000
17	खगड़िया	400	80	5.40000	3.60000	9.00000
18	किशनगंज	400	80	5.40000	3.60000	9.00000
19	लखीसराय	500	100	6.75000	4.50000	11.25000
20	मधेपुरा	400	80	5.40000	3.60000	9.00000
21	मधुबनी	400	80	5.40000	3.60000	9.00000
22	मुंगेर	400	80	5.40000	3.60000	9.00000
23	मुजफ्फरपुर	500	100	6.75000	4.50000	11.25000
24	नालन्दा	500	100	6.75000	4.50000	11.25000
25	नवादा	400	80	5.40000	3.60000	9.00000
26	पटना	1000	200	13.50000	9.00000	22.50000
27	पूर्णिया	700	140	9.45000	6.30000	15.75000
28	रोहतास	600	120	8.10000	5.40000	13.50000
29	सहरसा	400	80	5.40000	3.60000	9.00000
30	समस्तीपुर	700	140	9.45000	6.30000	15.75000
31	सारण	700	140	9.45000	6.30000	15.75000
32	शेखपुरा	400	80	5.40000	3.60000	9.00000
33	शिवहर	400	80	5.40000	3.60000	9.00000
34	सीतामढ़ी	500	100	6.75000	4.50000	11.25000
35	सिवान	700	140	9.45000	6.30000	15.75000
36	सुपौल	500	100	6.75000	4.50000	11.25000
37	वैशाली	700	140	9.45000	6.30000	15.75000
38	पश्चिमी चम्पारण	700	140	9.45000	6.30000	15.75000
	कुल योग	**20000**	**4000**	**270.00000**	**180.00000**	**450.00000**

(मो० चार करोड़ पचास लाख रूपये)

पवन कुमार

निदेशक उद्यान, बिहार।